



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3-17(01)अराज/स्था/अभि./2019/1216-52

दिनांक: 22.01.2020

परिपत्र

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 14017-62 दिनांक 15.10.2019 एवं 15711-16 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा 231 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश में मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया था कि आदेश जारी होने के एक माह में मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति तिथि से मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जावे। इन निर्देशों के सम्बन्ध में आई.डी. संख्या 18200001 दिनांक 16.01.2020 द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(एस. एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2. अंकेक्षण शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariate,
Jaipur(Rajasthan), Pincode: 302005
Phone & Fax: 0141-2227806
Email address: prosecution@rajasthan.gov.in